न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 05/2023 नामान्तरकरण अपील

1. ब्रजमोहन पुत्र लिछमन
2. केदार पुत्र लिछमन
3. राधेश्याम पुत्र लिछमन
4. रमेश पुत्र लिछमन
   समस्त जाति गुर्जर निवासी गुर्जर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. निहालसिंह पुत्र बाबूलाल
2. चेतन पुत्र जगदीश
3. धोली देवी पत्नि जगदीश
   समस्त जाति गुर्जर निवासी गुर्जर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. रूक्मणी पुत्री बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी गुर्जर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा पत्नि कैलाश गुर्जर हाल निवासी खेडली तहसील दौसा जिला दौसा।
5. भगवानी पुत्री बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी गुर्जर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा पत्नि धर्मसिंह गुर्जर हाल निवासी सिकन्दरा ढाणी बंद तहसील सिकराय जिला दौसा।
6. राजन्ती पुत्री बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी गुर्जर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा पत्नि निहालसिंह गुर्जर हाल निवासी सिकन्दरा ढाणी बंद तहसील सिकराय जिला दौसा।
7. रामा देवी पुत्री जगदीश जाति गुर्जर निवासी गुर्जर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा पत्नि हरभजन गुर्जर हाल निवासी मरियाडा तहसील सिकराय जिला दौसा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।
9. उप पंजीयक सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 ग्राम गुर्जर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा

उपस्थिति :–: श्री गोरधन गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 07.01.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी के पिता लिछमन तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 7 के पिता बाबूलाल की सहखातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 80/1 रकबा 8 बीघा बारानी बंजड, आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 11 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 98/210 रकबा 3 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 142 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गुर्जर सीमला में स्थित थी। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 7 के पिता बाबूलाल के द्वारा राजस्व कर्मी व तहसीलदार सिकराय से मिलकर अपीलान्ट्स के पिता लिछमन [illegible] खातेदारी भूमि का विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 [illegible] से बंटवारा दर्शाकर तस्दीक करवा लिया जिसकी अपीलार्थी तथा अपीलान्ट्स के पिता लिछमन [illegible] जानकारी नहीं होने दी। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 7 के द्वारा तरमीम दुरूस्ती का दावा उप[illegible] अधिकारी सिकराय के समक्ष पेश कर दिया। जिसके नोटिस अपीलान्ट्स के पास गये तो अपीलान्ट्स ने न्यायालय में उपस्थित होकर तरमीर दुरूस्ती के मुकदमें की जानकारी ली तथा नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की जो अपीलान्ट्स को 23.02.2023 को प्राप्त हुई तब अपीलान्ट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:04:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। प्रकरण से सम्बन्धित मूल नामान्तरकरण अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा लिखित बहस पेश की गई एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट्स के पिता लिछमन तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज बाबूलाल की सहखातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 80/1 रकबा 8 बीघा बारानी बंजड, आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 11 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 98/210 रकबा 3 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 142 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गुर्जर सीमला में स्थित थी। जो अपीलान्ट्स के पिता लिछमन तथा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज बाबूलाल की सहखातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा हाल नये खसरा नम्बर बनाये गये। अपीलान्ट्स का पिता लिछमन अनपढ व सीधा सादा व्यक्ति था तथा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 7 का पिता पढा लिखा व चालाक किस्म का व्यक्ति था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज बाबूलाल के द्वारा राजस्व कर्मी व तहसीलदार सिकराय से मिलकर अपीलान्ट्स के पिता लिछमन की सह खातेदारी भूमि का विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 का सहमति से बंटवारा दर्शाकर तस्दीक करवा लिया जिसकी अपीलान्ट्स के पिता को कोई जानकारी नहीं थी। उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज बाबूलाल व अपीलान्ट्स के पिता लिछमन ने कभी भी सहमति से विधिवत रूप से तकास्मा नहीं करवाया। बाहम्य रूप से बंटवारा कर मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में कभी भी सहमति से बंटवारा नहीं करवाया। अपीलान्ट्स का पिता लिछमन यह कहता था कि हमारी भूमि अभी सह खातेदारी की भूमि है। हमने केवल बाहम्य रूप से भाईबंट के हिस्से का बंटवारा कर रखा है। आराजी भूमि खसरा नम्बर 80/1 हाल खसरा नम्बर 109 व 110(325/110) है जिस पर अपीलान्ट्स का कब्जा है तथा आराजी भूमि खसरा नम्बर 98/2 हाल खसरा नम्बर 137 है जिस पर अपीलान्ट्स का कब्जा है तथा आराजी भूमि खसरा नम्बर 98/1 हाल खसरा नम्बर 139 है जिस पर लगभग 8 बीघा भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा है तथा आराजी खसरा नम्बर 95/1 हाल खसरा नम्बर 134 व 134/300 पर अपीलान्ट्स का कब्जा है तथा आराजी खसरा नम्बर 142 हाल खसरा नम्बर 205 पर रेस्पोडेन्ट बाबूलाल का कब्जा है जिस पर रेस्पोडेन्ट के पूर्वज बाबूलाल के नाम से बिजली कनेक्शन लगा हुआ है तथा आराजी भूमि खसरा नम्बर 98/1 हाल खसरा नम्बर 139 पर 8 बीघा भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा है शेष भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है। इसी आधार पर अपीलान्ट्स के पिता लिछमन व रेस्पोडेन्ट के पिता/पूर्वज बाबूलाल काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे एवं वर्तमान में अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज बाबूलाल द्वारा राजस्वकर्मी व तहसीलदार से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 तस्दीक करवा लिया। नामान्तरकरण संख्या 266 व इसके संलग्न दस्तावेज में सहमति बाबत् अपीलान्ट्स के पिता लिछमन के कही हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी नहीं है। तकास्मे की नकल अपीलान्ट्स को काफी प्रयास करने के बावजूद भी नहीं मिली है। अपीलान्ट्स की ओर से उक्त नकल प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति भी अपील में पेश कर दी है। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज बाबूलाल के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से सहमति के तकास्मे का नामान्तरकरण भरवाया गया है। तकास्मा जो नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 में दर्शाया गया है वह बिना कब्जे के आधार पर विधि विरूद्ध तरीके से दर्शाया गया है। सहमति से बंटवारे के आदेश क्रमांक भू.अ./95/1358–70 दिनांक 27.06.1995 का सहमति से बंटवारे के सम्बन्ध में कही कोई रिकॉर्ड [illegible] प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन कही भी उक्त आदेश की न[illegible] प्रा[illegible] नहीं हुई नकल प्राप्त नहीं होने के सम्बन्ध में प्रतिलिपि फार्म की प्रमाणित प्रति [illegible] होने का नोट अंकन किया है तथा नकल दिया जाना सम्भव नहीं है जिसकी प्रमा[illegible] प्रति अपील के साथ में पेश कर दी गई है। इससे स्पष्ट है कि आदेश कही पारित नहीं हुआ है नामान्तरकरण में मात्र आदेश का हवाला देकर ही विधि विरूद्ध अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कि[illegible]या है। यदि नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 निरस्त नही किया गया तो अपीलान्ट्स अपने हक व अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। पुराने खसरा नम्बर 142 वर्तमान खसरा नम्बर 205 के अनुसार अपीलान्ट्स के नाम है जबकि उस पर कब्जा रेस्पोडेन्ट्स का है। बिजली कनेक्शन भी रेस्पोडेन्ट्स के नाम है तथा पुराने खसरा नम्बर 98/1 हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:04:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नम्बर 137, 138, 139 रेस्पोडेन्ट्स के नाम है जिस पर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स का आधे आधे हिस्से पर कब्जा है। पुराने खसरा नम्बर 80 वर्तमान खसरा नम्बर 109, 110 अनुसार अपीलान्ट्स के नाम है। अपीलान्ट्स के नाम बिजली कनेक्शन है व कब्जा भी अपीलान्ट्स का ही है। पुराने खसरा नम्बर 95 रकबा 11 बिस्वा पर अपीलान्ट्स का कब्जा है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण में कब्जे के अनुसार भी नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 266 आदेश दिनांक 28.06.1995 ग्राम गुर्जर सीमला तहसील सिकराय को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 को तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील लगभग 28 वर्ष बाद की गई है। इतने अधिक विलम्ब से अपील पेश करने का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट्स को तरमीम दुरूस्ती का दावा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय में पेश करने पर नोटिस अपीलान्ट्स को प्राप्त होने पर नामान्तरकरण की नकल दिनांक 13.02.2023 को प्राप्त होने पर प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी होना बताया गया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 को तस्दीक किया गया परन्तु रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 7 द्वारा तरमीम दुरूस्ती का दावा उपखण्ड अधिकारी सिकराय में इतनी लम्बी अवधि के बाद पेश किया गया। जबकि प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स का विपरीत कब्जा अभी तक होना अपील में बताया गया है तथा जिस तकास्मे के आधार पर प्रश्नगत नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उसका रिकॉर्ड कही भी प्राप्त नहीं हुआ है। बिना तकास्मे आदेश के प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना तथा तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 ग्राम गुर्जर सीमला तहसील सिकराय निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सिकराय को प्रकरण इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं सबूत का अवसर प्रदान करते हुये नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के सम्बन्ध में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:04:32 IST
Reason: SelfAttested